

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
महोबा।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ।

पत्रांक : मु०चि०अ०/NHM/सहयो०पर्य०/सूचना प्रेषण/2019-20/ 1960 दिनांक जुलाई ०९, 2019
विषय : वित्तीय वर्ष 2019-20 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण अन्तर्गत जनपद महोबा एवं समस्त ब्लॉकों में संचालित वाहनों की सूचना का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई०/2019-20/30/3153-02 दिनांक 08.07.2019 के क्रम में जनपद महोबा में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण (वित्तीय वर्ष 2019-20) के अन्तर्गत जनपद स्तर पर ई-निविदा के माध्यम से निम्नलिखित वाहनों का संचालन किया जा रहा है। वाहनों का विवरण निम्नवत है :-

Supportive Supervision Vehicle Hiring-District level Information -2019-20 Up to Feb. 2020							
S.No.	Name of District	Name of Agreement Signing Officer	Vehicle No.- 1	Date Of Hiring	Vehicle No.-2	Date Of Hiring	Agreement copy attached
1	Mahoba	CMO	UP 95 T 2180	1/4/2019	UP 95T 3856	01/04/2019	Yes

Supportive Supervision Vehicle Hiring-Block wise Information -2019-20 Up to Feb. 2020						
S.No.	Name of division	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date Of Hiring	Agreement copy attached
1	Banda	Mahoba	Charkhari	UP 95 T 3614	01/04/2019	Yes
2	Banda	Mahoba	Panwari	UP 95 T 3602	01/04/2019	Yes
3	Banda	Mahoba	Kabrai	UP 95 T 2986	01/04/2019	Yes
4	Banda	Mahoba	Jaitpur	UP 95 C 5499	01/04/2019	Yes

उपरोक्तानुसार वाहनों के अनुबन्ध पत्र की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय,

(डॉ० सुमन)

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
महोबा।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महाप्रबन्धक, एम एण्ड ई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०, लखनऊ।
2. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर०सी०एच०) महोबा
3. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महोबा।
4. जिला लेखा प्रबन्धक, जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, महोबा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
महोबा।

1799/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

अनुबन्ध पत्र

DY 977160

(टैक्सी परमिट वाहन व्यवस्था जिला स्तरीय/ब्लाक स्तरीय अधिकारियों के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु)

यह अनुबन्ध प्रथम पक्ष के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोबा एवं द्वितीय पक्ष के रूप में मेसर्स मानसी ट्रेडर्स, मलकपुरा महोबा उ०प्र० (सेवा प्रदाता सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम) हम दोनों के मध्य अनुबन्ध किया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोबा/प्रथम पक्ष द्वारा निर्दिष्ट किये गये उत्तरदयित्वों का निर्वाहन करने मेसर्स मानसी ट्रेडर्स, मलकपुरा महोबा सेवा प्रदाता सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम हेतु निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन सहमति प्रदान करते हैं।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम हेतु सेवाओं को सुनिश्चित किये जाने हेतु आमंत्रित निविदा दिनांक 17.02.2018 को निविदा समिति के समक्ष खोली गयी थी, जिसमें आपकी दरें न्यूनतम पाये जाने पर निविदा समिति द्वारा अनुमोदित की गयी हैं। द्वितीय पक्ष को (सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम) निम्न शर्तों के अधीन कार्य हेतु अनुबन्धित किया जा रहा है।

1. यह अनुबन्ध द्वितीय पक्ष के मध्य हस्ताक्षर होने की तिथि 01.03.2018 से दिनांक 29.02.2020 अथवा अगली निविदा होने तक। द्वितीय पक्ष को राज्य सरकार द्वारा निर्गत नवीन गाइडलाइन्स अनुसार कार्य करना होगा। निविदा में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित विवरण अनुसार वाहन द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराने होंगे। अपरिहार्य कारण से संचालित वाहन को बदलने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर उपलब्ध कराने के पश्चात नए वाहन के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाएगी।
 - (क) माह अप्रैल 2014 के पश्चात पंजीकृत वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र अर्थात वाहन 04 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
 - (ख) वाहनो का व्यवसायिक प्रयोग हेतु परिवहन विभाग द्वारा जारी टैक्सी परमिट होना चाहिए।
 - (ग) वाहनो का वैध Comprehensive Insurance प्रमाण पत्र होना चाहिए।
 - (घ) वाहनो का वैध फिटनेस/पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए।
 - (ङ) वाहनो का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र होना चाहिए।
2. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहनों पर मय चालक, मय ईंधन (पेट्रोल/डीजल) सेवा प्रदाता द्वारा भरवाया जायेगा, वाहन का मेन्टीनेन्स, टोलटेक्स व अन्य व्यय भी सेवा प्रदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। तथा वाहन का 1000 किमी० कम से कम उपभोग प्रतिमाह किया जायेगा, जिस हेतु प्रथम पक्ष द्वारा प्रतिमाह ₹० ₹० 32,400/- (बत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) भुगतान किया जायेगा यदि वाहन 1000 कि०मी० से कम चलता है तो आपको अनुपातिक भुगतान किया जायेगा। 1000 कि०मी० माह में वाहन चलने के पश्चात वाहन का संचालन सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा आर०के०एस० अथवा अन्य मद से ईंधन की व्यवस्था कर वाहन का

M/s MANSI TREDERS

अभिमत

PROPRIETOR

नोटरी-महोबा

यू० पी० सरकार

पंजीकरण नं०-52(10)2009

07/03/18

संचालन कराया जायेगा, जिस हेतु प्रति कि०मी० ₹ 10/- की दर से भुगतान किया जायेगा, परन्तु वाहन पूरे माह उपयोग किया जायेगा। प्रतिमाह ₹ 32,400/- (बत्तीस हजार चार सौ रुपये मात्र) से अधिक सभी करों सहित भुगतान नहीं किया जायेगा।

3. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा दुर्घटना होने पर वाहन एवं लाभार्थी या अन्य किसी को किसी प्रकार की क्षति एवं उसकी पूर्ति की समस्त जिम्मेदारी बीमा कम्पनी व द्वितीय पक्षकार की कामप्रेहेन्सिव इन्श्योरेन्स के तहत मिलेगी।
4. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहन के संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धी समस्त व्यय तथा पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स आदि वहन करना होगा।
5. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहन को 24 घण्टे चालू हालत में रखने एवं वाहन की साफ-सफाई व आवश्यक रख-रखाव किया जायेगा। नियमित जांच (सर्विसिंग इत्यादि) हेतु वाहन को वर्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता को अन्य वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराना होगा। सेवा प्रदाता को अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप सेवा प्रदान नहीं करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को ₹ 1500/- प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा। ऐसा न करने पर अनुबन्ध भी समाप्त किया जा सकता है।
6. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा सुरक्षा निधि के रूप में जिला स्वास्थ्य सोसाइटी के नाम धरोहर राशि ₹ 50,000/- की एफ०डी०आर० जमा रहेगी, जो किसी भी पक्ष के द्वारा 30 दिन के नोटिस देकर अनुबन्ध खत्म करने पर या अनुबन्ध अवधि पूरी होने पर प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को नियमानुसार निर्धारित अविध में वापस कर दी जायेगी।
7. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्यक्रम हेतु टैक्सी परमिट वाहनों के सुगम/त्वरित संचालन हेतु वाहन चालकों का नाम तथा मोबाइल नम्बर विकास खण्ड मुख्यालय स्थित सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा जिला स्तरीय चिकित्सालय/कार्यालय के सूचनापट में योजना सम्बन्धी प्रचार-प्रसार हेतु तथा चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय में प्रदर्शित कराया जायेगा, द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहन चालक को एक मोबाइल उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे स्वास्थ्य इकाई के अधिकारी उसे समय-समय पर कार्य निष्पादन करने हेतु निर्देश दे सकें। सेवा प्रदाता तथा वाहन चालकों को सम्बन्धित स्वास्थ्य इकाईयों के चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय का लैण्डलाइन नम्बर तथा नोडल अधिकारी का मोबाइल नम्बर दिया जायेगा, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
8. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहन चालकों की व्यवस्था की जायेगी एवं वाहन चालक के पास वैध व्यवसायिक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। निरीक्षण के दौरान वाहन चालक से मांगे जाने पर तत्काल प्रस्तुत करना होगा।
9. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित किये गये वाहन चालक के लिए नियोक्ता सेवा प्रदाता ही होगा, अधोहस्ताक्षरी पर इसका कोई विधिक दायित्व नहीं होगा। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक अधोहस्ताक्षरी द्वारा नियुक्त नियंत्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का पालन करें। सेवा प्रदाता का यह भी दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का संचालन नहीं करे। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
10. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा को आवंटित इकाई पर प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक वाहन उपलब्ध कराना होगा तथा आवश्यकतानुसार किसी भी समय वाहन कार्य हेतु इकाई पर बुलाया जा सकता है। भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लॉगबुक के साथ आगामी माह की 05 तारीख तक प्रस्तुत करने पर भुगतान बजट की उपलब्धता के अनुसार एवं सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात किया जायेगा।
11. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहन की छोटी मोटी टूट-फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था सेवा प्रदाता को तत्काल करनी होगी। बड़ी टूट फूट भी 24 घण्टे के सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। ऐसा न करने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।
12. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहन संचालन के दौरान वाहन से किसी प्रकार की क्षति/दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व सेवा प्रदाता का होगा। अधोहस्ताक्षरी इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
13. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता को विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार सामग्री एवं साहित्य आदि का परिवहन एवं प्रदर्शन विभाग के निर्देशों के अनुरूप करना होगा।
14. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा दी जा रही सेवाओं के समय-समय पर निरीक्षण करने/जानकारी प्राप्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को होगा।
15. अनुबन्ध के सम्बन्ध में कोई भी विवाद होने की स्थिति में विवाद का निपटारा केवल महोबा न्यायालय में ही होगा तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त सेवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह सेवा प्रदाता से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है एवं स्पष्टीकरण का जो

संतोषजनक नहीं पाए जोन की स्थिति में सेवा प्रदाता को 15 दिवस की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा तथा धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है।

17. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा वाहन की उपलब्धता प्रातः 08:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक सुनिश्चित की जायेगी तथा इस दौरान वाहन चालक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता की होगी।
18. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा कार्य के दौरान यह ज्ञात होता है कि उसका नजदीकी रिस्तेदार/परिवार का सदस्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महोबा में कार्यरत/सेवारत है तो उसका अनुबन्ध समाप्त कर दिया जायेगा।
19. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता के विरुद्ध कोई आपराधिक कृत्य विभाग/राज्य सरकार के संज्ञान में आता है अथवा सरकारी धन का गबन किया जाता है तो द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा के विरुद्ध laws against fraud and corruption in force in India, namely, Prevention of Corruption Act, 1988 के तहत सदर कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी।
20. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा कार्य में प्रयुक्त समस्त श्रमिकों को नवीनतम प्रचलित न्यूनतम वेतन, अधिनियम के अनुसार वेतन देने के लिये बाध्य होगा। श्रमिकों के भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत किसी विवाद के लिये निविदादाता पूर्णतया उत्तरदायी होगा। विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
21. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ लगाये गये सभी अर्हताओं के प्रपत्रों की पुष्टि सम्बन्धित विभागों से करायी जायेगी। किसी प्रपत्र के गलत पाये जाने पर उसकी निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त कर पंजीकरण करने वाले विभाग को द्वितीय पक्ष को काली सूची में अंकित करने हेतु अनुरोध किया जायेगा तथा अर्नेस्ट मनी अथवा धरोहर धनराशि भी शासन के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
22. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता का कोई किमिनल केस चल रहा हो अथवा संयोजित काईम अथवा गैंगस्टर क्रिया कलाप अथवा माफिया अथवा गुण्डा अथवा समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त होने का विभाग को संज्ञान होता है तो उसकी भी निविदा अथवा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
23. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा उ0प्र0 राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत एडवोकेट यदि सेवा प्रदाता में पंजीकृत है, और निविदा में सफल घोषित होते हैं तो उक्त प्रकरण संज्ञान में आने पर उसकी अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
24. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता को योजना में बजट की उपलब्धता तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा।
25. द्वितीय पक्ष/सेवा प्रदाता द्वारा उपरोक्त शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है तथा भली-भांति सोच समझकर उक्त अनुबन्ध के लिए समस्त वांछित अभिलेखों के साथ हस्ताक्षरित कर रहा है।

हस्ताक्षर

द्वितीय पक्ष अनुबन्धित सेवा प्रदाता (टैक्सी
परमिट वाहन व्यवस्था सहयोगात्मक पर्यवेक्षण
कार्यक्रम)

अमित

नाम (अमित कुमार चौरसिया)
पता मेसर्स मानसी टेडर्स, मलकपुरा
महोबा उ0प्र0
मो0नं0 9889285930

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

(डॉ0 सुनील कुमार वार्ष्णेय)
संयोजक, जिला स्वस्थ समिति
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
महोबा
मो0नं0-8005192679

गवाह के नाम, हस्ताक्षर एवं पता

गवाह-1

नाम (पुष्कर सिंह)
पता जिला लेखा प्रबन्धक
जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
एन0एच0एम0-महोबा
मो0नं0 9235723665

गवाह-2

नाम (डॉ0 सुरेन्द्र प्रसाद)
पता अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
नोडल अधिकारी (RBSK)
महोबा
मो0नं0 9839627166

